राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532,45 E-mail: trainings.rmsaraj@gmail.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प./जय/गुणवत्ता /2017–18/1983

दिनांक : 13/3/18

1. उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ समस्त जिले।
4. संस्थाप्रधान , समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक

विषय :– विद्यालयों में पासबुक्स प्रतिबंध के क्रम में।

स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं विद्यार्थियों में विषय की समझ विकसित करने के प्रति कटिबद्ध है। विभाग का यह प्रयास है कि विद्यार्थी रटन्त प्रणाली को छोड़कर विभिन्न विषयों की मूल अवधारणा व संकल्पना को समझें, जिससे न केवल परीक्षाओं में बेहतर परिणाम हासिल कर सके बल्कि व्यावहारिक रूप से इस ज्ञान का उपयोग भी कर सके। National Achievement Survey (NAS), State level Achievement survey (SLAS) तथा अन्य संस्थाओं द्वारा गुणात्मक उपलब्धि सर्वे में भी विद्यार्थियों के विषयगत ज्ञान, समझ, कौशल एवं व्यावहारिक उपयोग पर आधारित प्रश्न होते हैं। अतः शिक्षक पाठ्यपुस्तक में पढ़ाये जाने वाली विषयवस्तु से सम्बंधित स्वरचित प्रश्नों के अधिकाधिक अभ्यास करायें। पासबुक्स का उपयोग शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विद्यालयों में पासबुक्स का प्रयोग ना हो बल्कि विद्यार्थी एवं शिक्षक पाठ्यपुस्तकें एवं प्रामाणिक संदर्भ पुस्तकों का ही प्रयोग करें।

अतः समस्त राजकीय विद्यालयों में पासबुक्स का प्रयोग वर्जित किया गया है तथा निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय समय में किसी शिक्षक एवं विद्यार्थी के पास पासबुक्स पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com